

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट-प्लान) की 135 वीं बैठक दिनांक 28.08.2009 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। एजेण्डा संख्या 2, 3, 6, 7, व 8, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी) द्वारा तथा एजेण्डा संख्या 3, 4 व 9 संबंधित उपायुक्त द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 1 से 3 संबंधित उपायुक्त तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 4 व 5 व.न.नि. (प्रोजेक्ट) द्वारा तथा अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 6 से 11 व.न.नि. (बीपीसी) प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण की पुष्टि बीपीसी (एलपी) की आगामी बैठक में की जावेगी।

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति गायत्री ए. राठौड, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एन.एल. मीणा अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती सीमा सिंह अति. आयुक्त (पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती दुर्गा जोशी, अति. आयुक्त (भूमि एवं आवाप्ति), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमति शुचि शर्मा अति. आयुक्त (एलपीसी), जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी), जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मोहन टावरी, वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री गिरिराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एम. ढाखा, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री एस. मित्रा उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री हृदेश शर्मा, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री अजय असवाल, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री बी.एल. गोयल, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री पुरुषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
11. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, (जोन-8), जविप्रा, जयपुर।
13. श्री जगदीश नारायण वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री नारायण शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
15. श्रीमति रिकू बंसल, सहायक नगर नियोजक जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
16. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन-12, जविप्रा, जयपुर।
17. श्री हरि प्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
18. श्री निर्मल शर्मा, नगर नियोजक सहायक, जोन-5, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा संख्या:-1

135/28.08.09

विषय:-बीपीसी (ले आउट प्लान) 133वीं बैठक दिनांक 20.08.09 तथा 134वीं बैठक दिनांक 27.08.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि व गत बैठक के निर्णयों की पालना रिपोर्ट।

133 वीं बैठक दिनांक 20.08.09 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई तथा 134वीं बैठक की पुष्टि आगामी बैठक में की जावेगी।

एजेण्डा संख्या:-2

135/28.08.09 (जोन-4)

विषय:-टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना जादौन नगर के भूखण्ड संख्या 1-सी व 1-डी भूखण्ड को मिलाकर एक ही भूखण्ड 1-सी कर योजना में संशोधन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया विचार विमर्श पर निर्णय लिया गया कि उपायुक्त सदस्यता सूची से जांच करे कि सूची में भूखण्ड संख्या 1 सी व 1-डी आवेदक के नाम से ही है। भूखण्ड संख्या 1-सी, 1-डी का आवंटी प्रार्थी ही होने की स्थिति में भूखण्ड संख्या 1 सी व 1-डी को भूखण्ड संख्या 1-सी कर योजना मानचित्र में संशोधन किया जावे।

एजेण्डा संख्या:-3

135/28.08.09 (जोन-4)

विषय:- नव जीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मुक्तानन्द नगर के भूखण्ड संख्या 221 व 270 को अनुमोदन किये जाने के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मौके पर यह भूखण्ड शमशान की भूमि में स्थित है। मौके पर अन्य भूखण्ड जो शमशान भूमि में स्थित थे उनका पूर्व में नियमन किया जा चुका है तथा मौके पर पर शमशान न होने के कारण इस भूमि को शमशान से आबादी में दर्ज करने हेतु पूर्व में राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया था किन्तु शमशान को आबादी में इन्द्राज करने के संबंध में अभी तक राजस्व विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है अतः इन भूखण्डों के संबंध में निर्णय लिया गया कि राजस्व विभाग को पुनः शमशान से आबादी में भूमि का इन्द्राज करने के संबंध में पत्र लिखा जावे। जब तक प्रकरण स्थगित रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-4

135/28.08.09 (जोन-6)

विषय:-भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शंकर बाडी के अनुमोदन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया:-

- भूखण्ड संख्या 5 पर मंदिर निर्मित है अतः इसे सुविधा क्षेत्र में रखा जावे।
- भूखण्ड संख्या 12 को एक ही भूखण्ड मानते हुये इसका अनुमोदन किया जावे।
- योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30' चौड़ी रखी जावे।
- योजना का क्रयशुदा क्षेत्रफल से 217.55 वर्ग गज अधिक होने के कारण नियमानुसार राशि लेते हुये नियमन किया जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले तालाब से प्रभावित नहीं है, जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
- उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना अनुमोदित की जावे।

एजेण्डा संख्या-5

135/28.08.09 (जोन-6)

विषय:- सुभाष सिंधी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना ग्रीनापार्क 'ए' के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया:-

- भूखण्ड संख्या 28-ए मौके पर निर्मित होने के कारण इसके सामने प्रस्तावित 30' चौड़ी सड़क को निर्मल विहार योजना से नहीं जोडा जावे।
- भूखण्ड संख्या 22-ए में वर्तमान में मोबाईल टावर लगा हुआ है अतः टावर हटने के पश्चात् ही इसका नियमन किया जावे।
- योजना का आवासीय क्षेत्रफल 80.18 प्रतिशत होने के कारण राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले तालाब से प्रभावित नहीं है, जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
- स्वीकृति प्राप्त होने पर तदअनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या-6

135/28.08.09 (जोन-11)

विषय:-शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की ग्राम पीपला भरतसिंह तहसील सांगानेर में स्थित आवासीय योजना नम्बर (19-ए रामेश्वर विस्तार) के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना के दक्षिण की ओर सड़क की चौड़ाई 60' की जावे इसलिए इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु केन्द्र बिन्दु से दोनों ओर 30'-0" भूमि ली जावे। भूखण्ड

4

संख्या-1 60' सडक पर स्थित है इसलिए 60' सडक हेतु भूमि लिए जाने तथा सेटबैक 15' छोडने के पश्चात् भूखण्ड में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध होने की स्थिति में ही इस भूखण्ड को स्वीकृत किया जावे।

2. जो भूमि इस सहकारी समिति के कब्जे में नहीं है उसे अस्वीकृत किया जावे।
3. कोर्नर भूखण्डों में नियमानुसार कर्व दिया जावे।

एजेण्डा संख्या-7

135/28.08.09 (जोन-11)

विषय:- सेक्टर 51, 52, 53 में जविप्रा फार्म हाउस के पास स्थित ससोसायटी फोर वेलफेयर अवेरनेश रिसर्च एण्ड गाइडेन्स की भूमि में से गुजर रही सेक्टर रोड की स्थिति परिवर्तन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि आवेदक द्वारा चाहे गये परिवर्तन करने से सेक्टर रोड में अनावश्यक घुमाव होता है इसलिए सेक्टर रोड की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जावे।

एजेण्डा संख्या-8

135/28.08.09 (जोन-11)

विषय:- आवेदक की भूमि के मध्य में से सेक्टर रोड गुजरने के कारण कई भागों में विभक्त हुये भूखण्डों के एकल पट्टे जारी करने के नीती निर्धारण के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् एकल पट्टे के संबंध में नीती निर्धारण किए जाने हेतु निदेशक (आयोजना) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें निम्न सदस्य होंगे:-

- 1 अति. आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
- 2 वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
- 3 उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।

उपरोक्त कमेटी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण को भवन मानचित्र समिति (एलपी) में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या-9

135/28.08.09 (जोन-12)

विषय:-शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना लक्ष्मण रेखा विस्तार ग्राम निवारू तहसील जयपुर के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार समिति द्वारा निर्णय लिया गया:-

- योजना मानचित्र में स्थित उत्तर दक्षिण स्थित 30- सडक को 40' किया जावे।

- योजना में स्थित भूखण्ड संख्या 1, 2, 25, 26 व 27 अनुमोदित जय करणी नगर योजना की भूमि से ओवरलेपिंग में है अतः इन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- योजना की भूमि नदी, नाले तालाब से प्रभावित नहीं है, जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुये योजना अनुमोदित की जावे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर विचार विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-1
135/28.08.09 (जोन-7)

विषय:- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की नेमी नगर विस्तार योजना में एच. टी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों के क्षेत्र को भूखण्डों के क्षेत्रफल में शामिल करते हुये अनुमोदित करते हुये लीजडीड जारी करने बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 48 व 66 व भूखण्ड संख्या 8, 40 से 47, 67 व 68 के पास से 220 के वी की लाईन गुजर रही है। इन भूखण्डों का नियमन करते हुये एचटी लाईन की निर्धारित सुरक्षित दूरी को भूखण्ड क्षेत्र में सैटबैक के रूप में माना जावे एवं इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण (बालकनी/छज्जा सहित) अनुज्ञेय नहीं किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-2
135/28.08.09 (जोन-7)

विषय:- तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नेमी नगर के भूखण्ड संख्या 191 से 201 क्षेत्रफल 7270.30 वर्ग गज के आवासीय प्रयोजनार्थ पुनर्गठन बाबत।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 191 से 201 क्षेत्रफल 7270.30 वर्ग गज के पुनर्गठन के संबंध में प्रकरण को आगामी बैठक में प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-3
135/28.08.09 (जोन-1)

विषय:- ज्योति जगं जीवनराम गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कोलोनी के भूखण्ड संख्या 90 से 100 में से गुजर रही 60' सेक्टर रोड को विलोपित करने के संबंध में।

- योजना की भूमि नदी, नाले तालाब से प्रभावित नहीं है, जोन स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-5

135/28.08.09 (जोन-7)

विषय:- भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना "नन्द गांव" में भूखण्ड संख्या 83 को सृजित/नियमन करने बाबत।

प्रकरण को बीपीसी (एलपी) की 130वीं बैठक दिनांक 27.07.09 के एजेण्डा संख्या 3 में रखा गया एवं समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को सुनवाई हेतु समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिये जोन स्तर पर सुचित किया जावे। प्रार्थी को समिति द्वारा सुना गया जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि योजना नन्द गांव में भूखण्ड संख्या 83 के पीछे अशोक नगर योजना का प्लॉट नं. 46 आता है जिसकी नाप 30x60 है तथा अशोक नगर योजना के ले-आउट प्लान अनुमोदन से पूर्व ही मकान बना हुआ है। (जो ले आउट प्लान में भी दर्शाया हुआ है) जिससे सडक का अशोक नगर योजना से लिंक नहीं हो सकता है इसको मध्यनजर रखते हुये भूखण्ड संख्या 83 का नियमन किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-6

135/28.08.09 (जोन-8)

विषय:- बस्सी सीतारामपुरा-बी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर द्वितीय के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना के दक्षिण की ओर सेक्टर प्लान के अनुसार सडक की चौड़ाई 60' की जावे।
2. योजना के अन्दर की सडक की चौड़ाई 40' की जावे।
3. योजना में 60' व 40' सडक को चौड़ा किए जाने पर आवासीय क्षेत्रफल 74.3 प्रतिशत होता है मौके पर 36 भूखण्डों में से 27 भूखण्ड निर्मित हैं। इसलिए आवासीय क्षेत्रफल 74.3 प्रतिशत को स्वीकृत किया जावे।
4. योजना का अनुपात 70:30 से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।
5. कोर्नर के भूखण्डों में नियमानुसार कर्व दिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-7

135/28.08.09 (जोन-5)

प्रकरण को 134वीं बैठक दिनांक 27.08.09 की बैठक में (अतिरिक्त एजेण्डा नं.1) प्रेषित किया गया था। समिति द्वारा प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यों के साथ आगामी बैठक में रखने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देश के परीपेक्ष्य में प्रकरण को तथ्यात्मक टिप्पणी के साथ पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तथ्य निम्नानुसार हैं:-

- कल्याण कोलोनी योजना का मानचित्र जविप्रा द्वारा दिनांक 29.09.1986 को अनुमोदित हुआ। जबकि सेक्टर प्लान दिनांक 30.11.1990 को जारी किया गया।
- उक्त भूखण्डों के प्रकरण को बीपीसी एलपी की 95वीं बैठक दिनांक 12.05.06 में रखा जाकर पुर्नगठन किये जाने एवं भू-उपयोग व्यावसायिक किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.11.07 को प्रश्नगत भूखण्डों के पुर्नगठन एवं वाणिज्यिक उपयोग की स्वीकृति प्रदान की गई।
- बीपीसी एलपी की 119वीं बैठक दिनांक 21.08.08 में रखा जाकर उक्त तथ्यों के मध्यनजर उक्त भूखण्डों में प्रस्तावित 60' सैक्टर रोड को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय के परीपेक्ष्य में विज्ञप्ति उक्त सेक्टर सडक को विलोपित करने हेतु दिनांक 9.11.08 को प्रकाशित की गई। निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

प्रेषित तथ्यों पर विचार विमर्श उपरांत उक्त भूखण्डों में से निकलने वाली प्रस्तावित 60' सेक्टर रोड को केवल उतने ही क्षेत्र में विलोपित करने करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-4
135/28.08.09 (जोन-10)

विषय:- लक्ष्मी गृ नि. स. समिति की योजना रवि विहार के अनुमोदन के संबंध में।

जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर समिति द्वार विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि:-

- योजना की सभी आंतरिक सडकों को 30' रखा जावे।
- जिन भूखण्डों में नियमानुसार सैटबैक उपरांत निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है उन्हें गैर अनुमोदित किया जावे।
- जिन भूखण्डों व्यावसायिक गतिविधियों चल रही है उन्हे व्यावसायिक गतिविधियां हटने के पश्चात् ही जोन द्वारा लीजडीड जारी की जावे।
- योजना के 90वीं के क्षेत्रफल से 272.82 वर्ग गज अधिक भूमि पर योजना प्रस्तावित है अतः नियमानुसार राशि लेते हुये नियमन किया जावे।

विषय:- माघव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना रेल नगर के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत योजना मानचित्र में 3, 4, भूखण्डों को एक ही ब्लॉक में दर्शाया है इसलिए उपायुक्त जोन सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार योजना मानचित्र में अलग-अलग भूखण्ड दर्शाये जावें।
2. योजना में कुल 200 भूखण्ड है 200 में से 181 भूखण्ड निर्मित हैं इसलिए योजना में 65.68 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र स्वीकृत किया जावे।
3. सरकारी भूमि पर स्थित भूखण्ड को अस्वीकृत किया जावे।

उपरोक्तानुसार योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-8

135/28.08.09 (जोन-)

विषय:- अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मानव आश्रम, टोंक रोड के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विमर्श विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना के अन्दर 30'-0" से कम चौड़ी सडकों को 30'-0" चौड़ी किया जावे।
2. जिन भूखण्डों का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ किया जा रहा है उन भूखण्डों को स्वीकृत नहीं किया जावे।
3. योजना में कुल 37 भूखण्डों में से 33 भूखण्ड निर्मित हैं इसलिए 69.17 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र अनुमोदित किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-9

135/28.08.09 (जोन-9)

विषय:- बाबा आर.एन. गौड गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सुमित विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विमर्श विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में दुकानों को अस्वीकृत किया जावे।
2. योजना में भूखण्ड संख्या 3 व भूखण्ड संख्या 21 के मध्य की 30'-0" चौड़ी सडक को 40'-0" किया जावे।

3. योजना में भूखण्ड संख्या 43 व 24 के मध्य की 30'-0" चौड़ी सड़क को 40'-0" किया जावे।
4. कोर्नर भूखण्डों में नियमानुसार कर्व दिया जावे।
5. योजना में 101 भूखण्डों में से 10 भूखण्ड निर्मित है तथा 2 अर्द्धनिर्मित है, 42 भूखण्डों में चारदिवारी बनी हुई है इसलिए 64.72 प्रतिशत आवासीय क्षेत्रफल स्वीकृत किया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-10
135/28.08.09 (जोन-9)

विषय:- शिव शंकर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक विहार-बी के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 21 से 30 नाले में होने के कारण इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे। शेष योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्या:-11
135/28.08.09 (जोन-9)

विषय:- सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बुद्ध विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विमर्श विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना को स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:-

1. भूखण्ड संख्या ए-14, ए-15 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
2. योजना में 70.82 प्रतिशत आवासीय क्षेत्र स्वीकृत किया जावे।
3. एलटी लाईन के नीचे के भूखण्डों को एलटी लाईन हटने के पश्चात् ही नियमन किया जावे।
4. योजना के क्षेत्रफल में 0.70 हैक्टेयर भूमि अधिक है इसलिए इस भूमि की राशि नियमानुसार ली जावे।
5. योजना का क्षेत्रफल 70.82 प्रतिशत है इसलिये राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

4
 सदस्य सचिव,
 भवन मानचित्र समिति
 (ले-आउट प्लान)
 जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/प्रोजेक्ट/2009/डी-325

दिनांक :- 11/9/09